(20)

विलोपित विलोपित विलोपित

श्री सुनीलसिंह पांडे द्वारा आज दि० 15.1.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-2-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 15-1-18

**समक्ष– माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)**

राजस्व पुनरीक्षण कमांक – I/निगरानी/छिंदवाडा/भू.रा./2018/0409

1. श्रीमति रितु कुडापे 36 वर्ष पत्नि श्री आकाश कुडापे जाति परधान निवासी श्रीवास्तव कालौनी, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा,
2. आकाशसिंह आयु 41 वर्ष पिता मेहताप सिंह कुडापे जाति परधान निवासी श्रीवास्तव कालौनी छिंदवाडा, तहसीलव जिला छिंदवाडा, --- अर्जीदारगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन
द्वारा– जिलाध्यक्ष छिंदवाडा ———————— अनावेदक

सुनीलसिंह पांडे 15-1-18

**पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता।**

अर्जीदारगण निम्न सविनय प्रसतुत करते हैं :–

विद्वान जिलाध्यक्ष छिंदवाडा द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 38/अ–21/2017–2018 गैर आदिवासी की भूमि विकय बावद् ग्राम लहगडुआ बं0नं0 516 प0ह0नं0 23 तहसील छिंदवाडा, जिला छिंदवाडा, श्रीमति रितु कुडापे एवं एक अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन अंतर्गत धारा 165 (6) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अधीन अर्जीदारगणों का आवेदन ग्राहय योग्य ना होने से प्रारंभिक स्तर पर ही दिनांक 28.12.2017 को पारित आदेश के अधीन आवेदन अपास्त किये जाने से दुखी होकर पर्याप्त आधारों सहित निम्न अपील प्रस्तुत करते हैं।

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/0409 **जिला** – छिंदवाड़ा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 07.02.2018 | प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण भूमि विक्रय के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम लहगडुआ पटवारी हल्का नं. 23 राजस्व निरीक्षक मण्डल छिंदवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा व जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 550/1 रकवा 0.797 हे. एवं खसरा नं. 550/2 रकवा 0.566 हे. भूमि को गैर–आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति चाही गई है। आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि आवेदक का आवेंदन संहिता की धारा 165 (6) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः उसे निरस्त किया जाता है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक एवं विधि सम्मत नहीं हैं, क्योंकि जो आवेदन आवेदक ने जिलाध्यक्ष के समक्ष पेश किया है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि आवेदक आकाश परधान के पास पंजाब नेशनल बैंक, छिंदवाड़ा का 3,56,047/– रुपये का ऋण बकाया है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक की बहू को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा पेट्रोल पंप स्वीकृत किया गया है। पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु रुपयों की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त बिन्दुओं की बिना जांच एवं उस पर बिना विचार किए आवेदकों का आवेदन निरस्त किया गया है जो न्यायिक प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार के पश्चात् आवेदकगण को उनके भूमि स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम लहगडुआ पटवारी हल्का नं. 23 राजस्व निरीक्षक मण्डल छिंदवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा व जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 550/1 रकवा 0.797 एवं खसरा नं. | |

**XXXIX(a)-BR(H)-11**

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | 550/2 रकवा 0.566 हे. को गैर–आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल अदा किया जाएगा तथा विक्रय प्रतिफल की राशि आवेदक के खाते में जमा की जाएगी। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी आवेदन निराकृत किया जाता है। | |
| | प्रशासकीय सदस्य | |